मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

कमांक प्र.स./म. क्षे./एच.आर./परि..सहा./2013/ दिनांक

परीक्षण सहायक की नियमित नियुक्ति–2013

1. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., भोपाल जो कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, मध्य, पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लिए, परीक्षण सहायक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करती हैं।

2. परीक्षण सहायक के मध्य क्षेत्र/पूर्व क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में वर्गवार/श्रेणीवार रिक्तियों की प्राविधक संख्या निम्नानुसार है :–

म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. भोपाल

क्रं0	विवरण	श्रेणीवार विवरण				
		UR	ST	SC	OBC	Total
1	वर्ष 2013–14 की रिक्तिया (बैकलॉग सहित)	_	116	54	48	218
2	निःशक्तजन के लिए आरक्षित	16	08	06	06	36
	योग	**16**	**124**	**60**	**54**	**254**

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर

क्रं0	विवरण	श्रेणीवार विवरण				
		UR	ST	SC	OBC	Total
1	2013 के कुल पद संख्या	235	161	126	80	602
2	क्षैतिज आरक्षण पद (निःशक्तजन हेतु)	25	08	09	08	50
	योग	**260**	**169**	**135**	**88**	**652**

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. इंदौर

क्रं0	विवरण	श्रेणीवार विवरण				
		UR	ST	SC	OBC	Total
1	2013 के लिए स्वीकृत पद (प्रस्तावित)	190	76	61	53	380
2	निःशक्तजन (प्रस्तावित)	12	4	4	4	24
	योग	**202**	**80**	**65**	**57**	**404**
1	बैकलॉग सामान्य (नियमित)	0	23	0	0	23
2	निःशक्तजन (बैकलॉग)	0	2	2	2	6
	योग	**0**	**25**	**2**	**2**	**29**
महायोग		**202**	**105**	**67**	**59**	**433**

नोट :– पदों की श्रेणीवार/कुल संख्या में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार कंपनी को होगा।

3. आरक्षणः–

3.1 अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व./भू.सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को म.प्र.शासन के नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

3.2 उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)/सक्षम सेना प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.3 अस्थिबाधित/श्रवणबाधित निःषक्तजन उम्मीदवारों को म.प्र.शासन के नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। इस हेतु उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता के संबंध में जारी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (कृपया निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े)

4.1 **आवेदन पत्र केवल एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट** **https://www.mponline.gov.in** पर दिनांक 01.02.2013 से उपलब्ध है।

4.2 आवेदन एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी किये जा सकते हैं। एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये **https://www.mponline.gov.in** पर **Authorized Kiosk List Link** देखें।

4.3 आवेदन हेतु एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट **https://www.mponline.gov.in,** स्पदा हेतु म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल की वेबसाइट **www.mpcz.co.in** म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की वेबसाइट **www.mpez-electricity-discom.nic.in** एवं म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर की वेबसाइट **www.mpwz.co.in** पर भी उपलब्ध है।

4.4 आवेदक एक ही आवेदन में एक या एक से अधिक कंपनियों के लिए आवेदन कर सकता है। इस हेतु उसे कंपनी की प्राथमिकता निर्धारित करने होगी, किंतु आवेदन में प्राथमिकता में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5. **आवेदन शुल्क एवं पोर्टल प्रभार :**

5.1 उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं	श्रेणी	आवेदन शुल्क	पोर्टल चार्जेस	कुल राशि
1	अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग	500 / –	60 / –	560 / –
2	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विधवा / तलाकशुदा महिला एवं भूतपूर्व सैनिक / निःशक्तजन	250 / –	60 / –	310 / –

5.2 आवेदन एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क पर नगद भुगतान कर किये जा सकते हैं। **https://www.mponline.gov.in** स्पदा पर **Authorized Kiosk List Link** पर एम.पी.ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क की सूची है, जिसके माध्यम से आवेदन शुल्क एवं पोर्टल प्रभार जमा किया जाना है।

5.3 आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों को पोर्टल प्रभार रु. 60 / – का भुगतान पृथक से किया जाना आवश्यक है।

6. **अर्हताएं :**

6.1 उम्मीदवार का मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।

6.2 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें 26–01–2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

6.3 उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं बोर्ड परीक्षा एवं राज्य शासन / केन्द्र शासन(एस.सी.व्ही.टी. / एन.सी.व्ही.टी) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नियमित आधार पर विद्युतकार / लाईनमेन / वायरमेन ट्रेड में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

6.4 अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग / विधवा / तलाकशुदा महिला एवं भूतपूर्व सैनिक, श्रेणी के उम्मीदवार को आई.टी.आई. प्रमाण पत्र परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत एवं अ.जा / अ.ज. जा. / निःशक्तजन श्रेणी के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे।

7. <u>आयु सीमा</u> :

7.1 आवेदक की आयु दि. 31.12.2012 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए।

7.2 अ.जा/अ.ज.जा./निःशक्तजन /अ.पि.व./भूतपूर्व सैनिक/विधवा/ तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। इस हेतु उम्मीदवार को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)/सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/सक्षम सैनिक प्राधिकारी/स्थानीय पंजीयक, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तलाकनामा की मूल प्रति साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगी।

7.3 म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में मीटर रीडिंग/लाईन परिचारक/ उपकेन्द्र आपरेटर के रूप में कार्यानुभव रखने वाले उम्मीदवारों को पूर्ण कार्य वर्षों के सापेक्ष आयु सीमा में छूट दी जावेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक 7.2 के अतिरिक्त होगी।

8. <u>चयन प्रक्रिया</u> –

8.1 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से पूर्ण की जायेगी। लिखित परीक्षा **भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर** में विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी। इसके लिए प्रवेश पत्र एम.पी.ऑनलाइन द्वारा ऑन लाइन जारी किये जावेंगे।

8.2 लिखित परीक्षा में 75 प्रतिशत प्रश्न विषय से संबंधित एवं 25 प्रतिशत प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होंगे।

8.3 म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में मीटर रीडिंग/लाईन परिचारक/उपकेन्द्र आपरेटर (सेवा प्रदाता के माध्यम से एवं जॉब कांट्रेक्ट आधार पर) के पद पर कार्यानुभव रखने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों पर प्रति पूर्ण वर्ष कार्यानुभव पर 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 प्रतिषत अधिभार दिया जायेगा ।

8.3.1 अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही मान्य होगा। फर्जी/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

8.3.2 संबंधित उप महाप्रबन्धक (कार्यपालन अभियंता) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

8.3.3 **अधिभार हेतु अनुभव अवधि के दिनांक 31.12.12 की स्थिति में केवल पूर्ण कार्य वर्षों को ही सम्मिलित किया जावेगा।**

8.4 लिखित परीक्षा उपरांत तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर विज्ञापित श्रेणीवार पदों की संख्या के लगभग 3 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। इस हेतु एम.पी.ऑन लाइन की वेबसाइट पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची देखी जा सकेगी।

8.5 शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी।

8.6 साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन सूची बनाते समय लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को **80:20** अधिभार दिया जायेगा।

8.7 अंतिम चयन सूची में समान अंक (दशमलव के दो अंकों तक) प्राप्त करने वाले एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को नियमानुसार वरीयता दी जायेगी।

8.8 अंतिम चयन सूची एम.पी. ऑन लाइन एवं तीनों वितरण कंपनियों के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाकर चयनित आवेदकों को **ई–मेल**/मोबाईल पर **एस.एम.एस.** से सूचित किया जावेगा एवं नियुक्ति प्रस्ताव पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन में अंकित पत्र व्यवहार के पते पर प्रेषित किया जावेगा तथापि डाक में विलम्ब/त्रुटि के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा।

8.9 कंपनियों में अंतिम चयन, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची एवं उनके द्वारा दी गई कंपनी आवंटन की प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा।

9 <u>सेवा–सह जमानत अनुबंध</u> –

9.1. नियुक्त किये गये आवेदकों को कंपनी में न्यूनतम 3 वर्ष कार्य करने हेतु एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध की शर्तों का पालन न करने अथवा 3 वर्ष से पूर्व कार्य छोड़ने/त्यागपत्र देने की स्थिति में अनुबंध राशि के रूप में अनारक्षित/अ.पि.व./ विधवा/तलाकशुदा महिला/भूतपूर्व सैनिक, श्रेणी के कार्मिक को **रू. 50,000/**–(रू.

पचास हजार) एवं अ.जा./अ.ज.जा./निःषक्तजन श्रेणी के कार्मिक को **रू. 25,000/–**(रू. पच्चीस हजार) कंपनी को भुगतान करना होगा।

9.2 त्यागपत्र देने की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि में परीक्षण सहायक द्वारा कंपनी को एक माह एवं प्रशिक्षण अवधि उपरांत 3 माह का नोटिस अथवा उसके सापेक्ष भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। कंपनी द्वारा भी इसी प्रकार एक माह/तीन माह की पूर्व सूचना अथवा उसके सापेक्ष भुगतान के आधार पर परीक्षण सहायक की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

9.3 परीक्षण सहायक की म.प्र.रा.वि.मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में नियमित/संविदा आधार पर समान/उच्च पद पर नियुक्ति हो जाने की स्थिति में सेवा–सह जमानत अनुबंध शिथिल किया जा सकेगा।

10. प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा अवधि –

10.1 प्रशिक्षण अवधि कुल 6 माह होगी, जिसमें 15 दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण सम्मिलित होगा।

10.2 प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने वाले प्रशिक्षु का प्रशिक्षण केवल एक बार 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके पश्चात प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर प्रशिक्षु की सेवाएं कंपनी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

10.3 प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को **''वेजेस एण्ड एलाउंसेस मैन्युअल''** के प्रावधानों के अनुसार ग्रेड एस–3 में रू. 6500/– मूल वेतन + फिक्सड एलाउंस+वेरियेबल एलाउंस देय होगें, परन्तु प्रशिक्षु अवधि में **''नवीन अंशदायी पेंशन योजना''** की पात्रता नहीं होगी।

10.4 प्रशिक्षण उपरांत नियमित नियुक्ति के बाद परीक्षण सहायक की सेवा शर्तों तथा वेतन भत्तों का नियमन कंपनी के **'' ह्यूमेन कैपिटल मैन्युअल'' तथा ''वेजेस एण्ड एलाउंसेस मैन्युअल''** के प्रावधानों एवं इनमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के अध्याधीन होगा।

10.5 प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले प्रशिक्षु को **''वेजेस एण्ड एलाउंसेस मैन्युअल''** के ग्रेड–एस–3 में न्यूनतम रू. 6500/– मूल वेतन निर्धारित करते हुए 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा। इस मूल वेतन पर कंपनी द्वारा ''वेजेस एण्ड एलाउंसेस मैन्युअल'' के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर घोषित अन्य भत्ते भी देय होंगे। प्रशिक्षु अवधि के उपरांत नियमित नियुक्ति के बाद ही परीक्षण सहायक **''नवीन अंशदायी पेंशन योजना''** में कंपनी अंशदान का पात्र होगा।

11. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

11.1 अ.जा./अ.ज.जा./निःशक्तजन श्रेणी के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु आवेदन पत्र में अंकित पत्र व्यवहार के पते के आधार पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय (साधारण) श्रेणी का रेल अथवा वास्तविक बस किराया (रेल मार्ग न होने पर) मूल टिकिट के प्रस्तुतीकरण पर ही दिया जायेगा। इस हेतु क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रतिलिपि का प्रस्तुतीकरण आवश्यक होगा।

11.2 नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी विवादों का क्षेत्राधिकार भोपाल स्थित न्यायालयों का होगा। तथापि नियुक्ति उपरांत विवादों का क्षेत्राधिकार संबंधित कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत स्थित न्यायालयों का होगा।

11.3 अंतिम चयन सूची जारी होने से पूर्व पदों की श्रेणीवार/कुल संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा। कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित/निरस्त कर सकती है।

11.4 कंपनी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अपने स्तर पर सत्यापन कराये जाने का अधिकार होगा एवं यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर नियुक्ति प्राप्त की गई है, तो ऐसे आवेदक की सेवाएं बिना सूचना दिए तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए न्यायालयीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।

11.5 आवेदक को कंपनी के कार्य क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान पर कार्य हेतु पदस्थ किया जा सकता है।

11.6 चयन सूची में एक बार सम्मिलित हो जाने के उपरांत कंपनी परिवर्तन/अन्य कंपनी में स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी।

11.7 चयन सूची में एक बार वरीयता अनुसार कंपनी आबंटन के पष्चात आवेदक का नाम चयन सूची से विलोपित कर दिया जावेगा एवं उसके द्वारा दी गई अन्य कंपनियों की वरीयता पर आगामी सूचियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

11.8 कार्य पूर्ण रूप से मैदानी प्रकृति का होने एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षे़त्रों में/शिफ्ट ड्यूटी की अनिवार्यता होने के दृष्टिगत आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार पूर्ण विचार करें।

11.9 शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी उपकम (प्रायवेट लिमिटेड) में कार्यरत उम्मीदवारों का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की मूल प्रतियां दो सत्यापित प्रतियों के साथ राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर करवारकर प्रस्तुत करना अनिवार्य हैः—

I. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची।

II. राज्य शासन/केन्द्र शासन(एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नियमित आधार पर विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

III. मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र।

IV. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःषक्तजन/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/तलाकषुदा महिला उम्मीदवारों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

V. एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र का कम्प्यूटराईज़्ड प्रिंट की मूलप्रति।

VI. एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क संचालक को किए गए भुगतान की कम्प्यूटराईज़्ड रसीद की मूल प्रति

VII. पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक/पासपोर्ट)। यदि लागू हो तो आवेदक आवश्यक रुप से प्रस्तुत करें।

VIII. शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्रायवेट लिमिटेड) उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवारों का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र।

IX. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रमाणपत्र।(सक्षम सैनिक प्राधिकारी द्वारा जारी)।

X. आयुसीमा एवं षैक्षणिक योग्यता में अंकों की छूट तथा आरक्षण लाभ लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

13. **<u>महत्वपूर्ण तिथियाँ</u> :—**

समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की दिनांक	— 01—02—2013
ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	— 17—02—2013
प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित तिथि	— 23—02—2013
लिखित परीक्षा की संभावित तिथि	— 17—03—2013
लिखित परीक्षा के परिणाम की संभावित तिथि	— 25—03—2013

साक्षात्कार हेतु संभावित तिथि	— 13—04—2013 से 21—04—2013
अंतिम परिणाम की संभावित तिथि	— 29—04—2013

उल्लेखित तिथियों में बिना कारण बतायें परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना एम.पी.ऑन लाइन पर भी उपलब्ध रहेगी।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)

——00——